

[श्री मधु लिमये]

का कि दायित्व इस सदन की ओर है और वह हमारा पूरा कार्यक्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का निर्माण हमने किया, आंध्र प्रदेश में नागरिकों के बारे में संरक्षण देने का कानून हमने पास किया। दुबारा पास किया और तीसरी बार रीजनल कमेटी के निर्माण के लिए प्रेसीडेंटल आर्डर राष्ट्र-पति के द्वारा जारी कराया जिसका कि दायित्व भी सरकार की मार्फत इस सदन की ओर है। इसलिए यह केवल अध्ययन का मामला नहीं है। बल्कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने का मामला है। अगर साधारण नागरिकों की बात होती तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जो स्वयं अपराधी हैं वह जब हमारे कार्यक्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं, पार्लियामेंट और उसके सदस्यों को दबाना चाहते हैं तो मानहानि का सवाल जरूर उठता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन मेरे प्रस्ताव को कबूल करे और समिति उसके ऊपर विचार करे। उसके बाद आपको जो करना हो वह करिये। कम से कम यह सदन पार्लियामेंटरी कमेटी की नियुक्ति करके इस बात को प्रतिष्ठापित करे कि सदन के कार्यक्षेत्र पर जो आक्रमण करने वाले लोग हैं और उसे चुनौती देने वाले जो लोग हैं उनको हम सही जवाब दे सकते हैं और देंगे।

16.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That the question of privilege against the Chief Minister of Andhra Pradesh be referred to the Committee of Privileges for investigation and report.”

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, I take item number 6.—Paper laid on the Table. Mr. Sethi.

6.20½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA (PAYMENT OF GRATUITY TO EMPLOYEES) REGULATIONS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : I beg to lay on the Table a copy of the Industrial Finance Corporation of India (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1968 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 22nd March, 1969, under sub-section (3) of section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948. [Placed in Library. See No. LT-629/69].

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Fernandes.

PETITION RE. PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT

श्री जाजं फरनेन्डोज (बम्बई-दक्षिण) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम, 1954 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के बारे में श्री हेमराज वेर्षी हरिया तथा अन्य व्यक्तियों की एक याचिका पेश करता हूँ।

16.21 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—Contd. MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS —Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we shall take up further discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of External Affairs.

SHRI SANT BUX SINGH (Fatehpur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the demands of the Ministry of External Affairs. I would like this occasion to begin.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Just a minute. Before the lunch hour, there was a query and a request for a statement. But